प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सराहनीय कार्य/उपलब्धियाँ वर्ष-2020

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह के निर्देशन में जनपद सीतापुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान में सभी प्रकरणों एवं शीर्षकों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की गयी है। जिससे अपराधियों में कठोर संदेश गया है। अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही वर्ष 2021 में भी निरन्तर जारी रहेगी। वर्ष 2020 में की गयी कार्यवाहियों का विवरण निम्न हैः-

निरोधात्मक कार्यवाही

क्र.सं.	शीर्षक	अभियुक्तों की संख्या	मुकदमों/प्रकरणों की संख्या	अन्य विवरण
1	गैंगेस्टर एक्ट	354	74	-
2	गुण्डा एक्ट	888	888	-
3	शस्त्र अधिनियम	555	550	अवैध शस्त्र-623, कारतूस -772, फैक्ट्री-21
4	अवैध शराब	3004	2947	33,132 लीο शराब व 239 भट्ठियाँ
5	अवैध शस्त्र फैक्ट्री	21	21	फैक्ट्री-21
6	रा.सु.का. (N.S.A.)	17	17	-

अभियान में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

क्र.सं.	शीर्षक	अभियुक्तों की सं0
1.	हत्या के अभियुक्त	124
2.	डकैती के अभियुक्त	20
3.	लूट के अभियुक्त	51
4.	बलात्कार के अभियुक्त	81
5.	गैंगेस्टर के अभियुक्त	289
6.	304 भा.द.वि. (गैर इरादतन हत्या)	46
7.	दहेज हत्या के अभियुक्त	91
8.	अन्य प्रकरणो के अभियुक्त	554
कुल वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी		**1256**

- **गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही -** इस दौरान **74 अभियोग** पंजीकृत हुये जिनमें **354 अभियुक्तों** के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। जिनमें गोवध के **60 आरोपी, 69 लुटेरे, 26 हत्या के एवं 115 नकबजन/चोर, 34 शराब तथा 05 बलात्कार** के आरोपी शामिल हैं।

- **14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 19 प्रकरणों** में **6 करोड़ 87 लाख 94 हजार 560 रू0** की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है जिसमें **05 शराब माफियाओं, 01 भू-माफिया की अपराध से अर्जित 6 करोड़ 08 लाख 13 हजार 775 रू0** की सम्पत्ति शामिल है।

- **रा.सु.का. (एन.एस.ए.) के अन्तर्गत** 17 **प्रकरणों** में **17 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।** जिसमें थाना **महोली के 01, तालगाँव के 05, कोतवाली नगर के 06, महमूदाबाद के 01 तथा तम्बौर के 02, पिसावाँ के 01, इमलिया सुल्तानपुर के 01 अभियुक्त** शामिल है।

- **आबकारी अधिनियम की धारा 72** के अन्तर्गत अवैध कार्यों में लिप्त **09 प्रकरणों** में कुल **09 लाख 90 हजार रू0** की सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

- इस दौरान कुल **137 नये अपराधियों की एच.एस.** खोली गयी है।

- **इस दौरान लम्बित विवेचनाओं का अभियान** चलाकर **कुल 11,349 विवेचनायें** निस्तारित करायी गयी है।

- **शान्तिभंग की सम्भावना में 6,472 प्रकरणों** में **9,824 व्यक्तियों** को धारा 151 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

- **जनपद में 22 नये गैंगो एवं 06 माफियाओं** का डी.सी.आर.बी. के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया गया है, रजिस्टर्ड की गयी गैंग लूट, नकबजनी, शराब तस्कर, गोवध, एन.डी.पी.एस. एवं पशु चोरी से सम्बन्धित है।

- **गुण्डा अधिनियम** के अन्तर्गत कुल **888 अपराधियों** के विरूद्ध कार्यवाही की गयी जिसमें अब तक **213 अपराधियों** को जिला बदर घोषित किया गया।

- चेकिंग के दौरान जनपद की सीमा में पाये जाने **जिला बदर किये गये 80 व्यक्तियों** को गिरफ्तार कर 10 गुण्डा अधिनियम में चालान किया गया है।

- **जनपद स्तरीय टॉप-10 अपराधियों** में से अब तक कुल **18 अपराधियों** की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है।

- **94 पुरस्कार घोषित अपराधियों** को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

- **कोविड-19 के दृष्टिगत मास्क न धारण करने पर 50,873 व्यक्तियों का चालान करते हुए 62,95,880/- रू0 जुर्माना एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 12,411 व्यक्तियों का चालान करते हुए 13,20,350/- रू0 जुर्माना वसूला गया।**

- **यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 51,448 वाहनो का चालान, 1,164 वाहनों को सीज किया गया तथा 1,24,27,650 रू0 (एक करोड़ चौबीस लाख सत्तईस हजार छः सौ पचास) सम्मन शुल्क वसूला गया।**

ऑपरेशन मुस्कान

- ऑपरेशन मुस्कान के अन्तर्गत **वर्ष 2020 में कुल 160 व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी** सुनिश्चित की गयी। **जिसमें 28 नाबालिक बालिकाओं एवम् 25 नाबालिक बालकों की बरामदगी** की गयी तथा 54 महिलाओं एवम् 53 पुरुषों को सुरक्षित बरामद किया गया।

एन्टी रोमियों/शक्ति मोबाइल द्वारा की गयी कार्यवाही

- एन्टी रोमियों एवम् शाक्ति मोबाइल टीमों द्वारा 200 शोंहदो के विरुद्ध 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा महिला अपराध के अन्तर्गत छेड़खानी में संलिप्त रहे 129 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट एवम् 255 अभियुक्तों के विरुद्ध 110 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त 713 लोगों को 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार भी किया गया।

महिला हेल्पडेस्क की स्थापना

- वर्ष 2020 में जनपद के समस्त 25 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी। जिसके शुभारम्भ हेतु थाना खैराबाद को शासन द्वारा चयनित किया गया एवम् मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन/वर्चुअल इसका उदघाटन किया गया। स्थापित महिला हेल्प डेस्क में सीसीटीवी, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कुर्सी, मेज, वाटर डिस्पेन्सर, तथा प्रशिक्षित महिला कर्मियों को तैनात करते हुए सुसज्जित किया गया।

ऑनलाइन चरित्र सत्यापन

- जनपद सीतापुर में यूपी कॉप एवम् सिटीजन चार्टर के माध्यम से जनता द्वारा प्राप्त 4,400 आवेदन के सापेक्ष डिजिटल चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किये गये। वर्ष 2020 में चरित्र सत्यापन का कार्य ऑनलाइन प्रारम्भ हुआ था शुरुआती दिनों में नेटवर्क के अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण काफी प्रकरण लम्बित चल रहे थे जिसका अभियान चलाकर सभी का निस्तारण सुनिश्चित किया गया। **चलाये गये अभियान से जनपद के करीब 4,400 लोग लाभान्वित हुए।**

जनसुनवाई

- जन शिकायत/आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त **कुल 22,400 शिकायतों** का निस्तारण किया गया। वर्ष 2020 में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को संवेदनशीलता पूर्वक सुना गया एवम् सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसका गुणवत्तापरक निस्तारण पूर्ण किया गया। शिकायतकर्ताओं के माध्यम से जांच का फीडबैक भी लिया गया। इन सारी प्रक्रियाओं से जनसुनवाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ।

साइबर सेल द्वारा की गयी कार्यवाही

- साइबर अपराधो से सम्बन्ध प्राप्त शिकायतो का निस्तारण करते हुए **धोखाधड़ी के माध्यम से ठगे गये 3,62,070 रू0 विभिन्न पेमेंट गेटवे से शिकायत कर्ता को वापस कराये गये** तथा फर्जी फेसबुक के खाते से बनाकर या हैक कर बीमारी का कारण बताकर धनराशि मांगने से सम्बन्धित शिकायतो पर कार्यवाही करते हुए कुल 28 फेसबुक खातो को रिकवर या बन्द कराया गया।

सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

- मा0 न्यायालय मे प्रचलित वादो में **सतत पैरवी के फलस्वरूप कुल 110 प्रकरणो में मा0 न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी**। जिसमें महिला सम्बन्धी 28 वादो में सजा सुनायी गयी। दहेज हत्या के 3 प्रकरणों में आजीवन कारावास, बलात्कार के 1 प्रकरण में 20 वर्ष तथा 7 प्रकरणो में 10 वर्ष की सजा सुनायी गयी। हत्या के 5 प्रकरणो में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। छेड़खानी के कुल 20, शस्त्र अधिनियम के कुल 18 तथा एनडीपीएस के कुल 13 प्रकरणो में सजा सुनायी गयी।

ऑपरेशन मुस्कान

- ऑपरेशन मुस्कान के अन्तर्गत **वर्ष 2020 में कुल 160 व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी** सुनिश्चित की गयी। **जिसमें 28 नाबालिक बालिकाओं एवम् 25 नाबालिक बालकों की बरामदगी** की गयी तथा 54 महिलाओं एवम् 53 पुरुषों को सुरक्षित बरामद किया गया।

प्रमुख मानवीय/सराहनीय कार्य

- **काउन्सलिंग कराने आयी शिक्षिका के रहने खाने की व्यवस्था कर की गयी मदद-** थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 06.12.2020 की रात्रि लगभग 09.00 बजे आरती गोस्वामी निवासी शेखपुर कुठौल जनपद जालौन महिला हेलप डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी श्वेता गुप्ता के पास पहुँची और उनके द्वारा बताया गया कि उनका चयन सहायक शिक्षिका के पद पर हुआ है तथा वह जनपद सीतापुर इसी सम्बन्ध में काउन्सलिंग कराने आयी थी। वह अकेली है तथा उनके पास पर्याप्त पैसे भी नही है जिससे वह किसी होटल में रूक सके तथा उन्हे अपनी सुरक्षा की भी चिंता है। शिक्षिका आरती की समस्या का कोतवाली नगर प्रभारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए कोतवाली नगर में ही तैनात महिला आरक्षी ऋचा के साथ उनके ठहरने के साथ उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया।
- **गुमशुदा बालक पुलिस के प्रयास से 02 घंटे में बरामद**-थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 12.12.2020 को समय लगभग 21.00 बजे दर्शित उर्फ माही पुत्र श्री मोनू शुक्ला निवासी शास्त्री नगर थाना कोतवाली नगर सीतापुर उम्र करीब 11 वर्ष के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई जिसका विवरण एवं फोटो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा थाना स्टाफ व्हाट्सएप्प ग्रुपों एवं अन्य माध्यमों से प्रचारित प्रसारित किया गया। जिस पर थाना कोतवाली पर ड्यूटीरत सभी गश्त मोबाइलें एवं पिकेट सतर्क होकर चेकिंग करने लगे। चेकिंग के दौरान प्रभारी चौकी रोडवेज द्वारा उक्त बालक को फोटो के माध्यम से पहचान लिया गया एवं सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस द्वारा 11 वर्षीय गुमशुदा उक्त बालक को मात्र 02 घंटे के अन्दर बरामद करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से परिजनों द्वारा पुलिस टीम काफी प्रशंसा की गई एवं आम-जनमानस द्वारा भी चहुंओर इसकी प्रशंसा हुयी।

- **कीमती लावारिस बैग को पीआरवी ने उसके स्वामी के किया सुपुर्द-**थाना कोतवाली नगर पर तैनात पीआरवी वाहन संख्या 1833 (तैनात कर्मचारीगण हे0का0 सुभाष चंद, का0 रजनीश कुमार, हो0गा0 इरशाद) पर हरगांव रोड पर शाहमहोली के पास एक अज्ञात लगेज बैग के मिलने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर बैग को चेक किया गया । जिसमें कुछ कीमती सामान,जेवरात, पैसे एवम् कागजात थे। तलाश में एक मो0 नं0 मिला जिस पर संपर्क किया गया तो उक्त मो0नं0 डॉ नीलिमा जैन लखनऊ का था वार्ता के क्रम में डॉ नीलिमा ने बताया कि उनके ससुर श्री ए.के. जैन उत्तराखंड से लखनऊ लौट रहे थे। तत्पश्चात् श्री ए.के.जैन से संपर्क करते हुए उनके आने का इंतजार किया गया। जिनके पहुंचने पर उक्त बैग को सुपुर्द कर दिया गया। बैग प्राप्त होने पर इनके द्वारा सीतापुर पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया गया एवम् जनसामान्य द्वारा भी उक्त कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
- **रास्ता भटकी बच्ची को पीआरवी ने 50 किमी दूर उसके घर जाकर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया-**पीआरवी 1802 को दिनांक 28/10/2020 को समय 15:00 बजे इवेंट 6271 पर थाना पिसावाँ अन्तर्गत बरगवाँ चौराहे से कॉलर ने अज्ञात बच्ची मिलने की सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी ने तत्काल मौके पर पहुँचकर देखा कि एक 10 वर्षीय बच्ची रो रही थी । पीआरवी ने बच्ची को शान्त कराते हुये अपनी संरक्षा में लेकर रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि वह ग्राम शेखापुरवा, थाना पिहानी, जनपद हरदोई की रहने वाली है और माता-पिता द्वारा डाँटने पर घर से 50 किमी दूर भाग आयी थी, लेकिन अब रास्ता भूल गयी है । पीआरवी ने त्वरित कार्रवाई करते हुये आरओआईपी व थाना प्रभारी पिसावाँ को घटना की सूचना देते हुये बच्ची को अपने साथ लेकर 50 किमी दूर उसके बताये हुये पते पर पहुँचकर सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया । इस कार्य के लिये पीआरवी को पीआरवी ऑफ द डे से सम्मानित किया गया है ।